

प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक

प्रस्तावना : प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि कर तथा राजस्व संकलन र राजस्व प्रशासनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले,

प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।

१. **संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ:** (१) यस ऐनको नाम “ आर्थिक ऐन, २०७५ ” रहेको छ ।

(२) यो ऐन २०७५ साल साउन १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ ।

२. **घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क:** (१) प्रदेशभित्र घरजग्गा रजिष्ट्रेशन गर्दा अनुसूची -१ बमोजिम घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्कको संकलन घर जग्गा रजिष्ट्रेशनका बखत सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिका मार्फत घरजग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क उठाउन आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र कार्यालयको व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारबाट तोकिएको कार्यालयले संकलन गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम संकलित रकममध्ये साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संचित कोषमा र चालीस प्रतिशतले हुन आउने रकम मासिक रूपमा प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

३. **सवारी साधन कर:** (१) प्रदेशभित्र अनुसूची - २ बमोजिम सवारी साधन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सा, विद्युतीय रिक्सा (ई-रिक्सा) र पावर ट्रिलरमा सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले सवारी साधन कर लगाई असुल उपर गर्नेछ ।

(३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम गाउँपालिका वा नगरपालिकामार्फत सवारी साधन कर उठाउन आवश्यक पर्ने साधन, स्रोत, प्रविधि, जनशक्ति र कार्यालयको व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल सरकारबाट तोकिएको कार्यालयले संकलन गर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम संकलित रकममध्ये साठी प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश संचित कोषमा र चालीस प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश विभाज्य कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

४. **मनोरञ्जन कर:** (१) प्रदेशभित्र सञ्चालित चलचित्र घर, हाट बजार, मेला, साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर र कन्सर्टमा देखाइने मनोरञ्जनजन्य क्रियाकलापमा अनुसूची-३ बमोजिम मनोरञ्जन कर लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिमको मनोरञ्जन कर एकमुष्ट तोकिएको अवस्थामा सोहीबमोजिम र अन्यमा मनोरञ्जन स्थलको प्रवेशको लागि खरीद गरिने टिकटको मूल्यमा लाग्नेछ ।

(३) उपदफा (२) बमोजिमको मनोरञ्जन करबाट उठेको रकम मनोरञ्जन स्थलको धनीले कर उठाएको महिना भन्दा पछिल्लो महिनाको पच्चीस गतेभित्र सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकामा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) बमोजिम मनोरञ्जन कर वापत संकलित रकमको साथी प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संचित कोषमा र चालीस प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश संचित कोषमा मासिक रूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(५) उपदफा (३) को समय अवधिभित्र कर दाखिला नगरेमा वार्षिक पन्ध्र प्रतिशतका दरले हुन आउने ब्याज रकम जरीवानाको रूपमा असुल उपर गरिनेछ ।

(६) यस दफाबमोजिम करको नियमन र प्रशासन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नेछ ।

५. **विज्ञापन कर:** (१) प्रदेशमा विज्ञापन तथा प्रचार सामग्री राखे वापतको विज्ञापन कर सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संकलित कर रकमको साथी प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संचित कोषमा र चालीस प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश संचित कोषमा मासिकरूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

६. **दहत्तर बहत्तर शुल्क:** (१) प्रदेशभित्र अनुसूची-४ बमोजिम दहत्तर बहत्तर शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।

(२) उपदफा (१) बमोजिम संकलित कर रकमको साथी प्रतिशतले हुन आउने रकम सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संचित कोषमा र चालीस प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रदेश संचित कोषमा मासिकरूपमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

(३) गाउँपालिका वा नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा र दहत्तर बहत्तरको संकलन गर्नु अघि प्रचलित संघीय कानूनबमोजिम आवश्यक पर्ने वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसमक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।

(४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि यस भन्दा अघिनै वातावरणीय मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेकोमा ढुंगा, गिटी, बालुवा, चुनढुंगा र दहत्तर बहत्तर संकलन गर्न कुनै बाधा पर्ने छैन ।

(५) यस दफा बमोजिमको शुल्कको नियमन र प्रशासन सम्बन्धित गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गर्नेछ ।

७. **जिल्ला निकासी शुल्क:** (१) प्रदेशभित्र उत्पादन भई जिल्ला निकासी हुने कृषिजन्य, पशुजन्य र वनजन्य उत्पादनमा अनुसूची-५ बमोजिम जिल्ला निकासी शुल्क लगाई असुल उपर गरिनेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्क सम्बन्धित जिल्ला समन्वय समितिले संकलन गरी प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
- (३) उपदफा (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि जिल्ला समन्वय समितिले संकलित शुल्कको पाँच प्रतिशतले हुन आउने रकम प्रशासनिक खर्च वापत कट्टा गरी बाँकी शुल्क मात्र प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नु पर्नेछ ।
- (४) जिल्ला निकासी शुल्कको नियमन र प्रशासन प्रदेश कानूनले अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्मको लागि जिल्ला समन्वय समितिले गर्नेछ ।
८. **पर्यटन शुल्क:** (१) प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्रभित्रका पर्यटकीय स्थल, पर्यटन व्यवसाय र पर्यटकीय क्रियाकलापमा पर्यटन शुल्क लगाई असुल उपर गर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको पर्यटन शुल्कसम्बन्धी दर तथा अन्य व्यवस्था प्रदेश कानूनले तोकेबमोजिम हुनेछ ।
९. **वन पैदावार बिक्री शुल्क:** (१) नेपाल सरकारले सामुदायिक वनको रूपमा हस्तान्तरण गरिएका राष्ट्रिय वनमध्ये उपभोक्ता समूहले कानूनबमोजिम कार्ययोजना बनाई निकालिएको काठ उपभोक्ता समूह बाहिर व्यापारिक प्रयोजनका लागि बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम मध्ये दश प्रतिशत रकम वन पैदावार बिक्री शुल्क वापत प्रदेश संचित कोषमा दाखिला गर्नुपर्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्कसम्बन्धी कार्यविधि तथा अन्य व्यवस्था आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमतिमा सम्बन्धित मन्त्रालयले निर्धारण गरेबमोजिम हुनेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिमको शुल्कको नियमन र प्रशासन सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्नेछ ।
१०. **दर घटाउन, बढाउन वा छुट दिन सक्ने:** (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि प्रदेश सरकारले आवश्यकताअनुसार यो ऐन र अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम लगाइएका दस्तुर, शुल्क र करको दर घटाउन, बढाउन वा त्यस्तो दस्तुर, शुल्क र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिन सक्नेछ ।
- (२) उपदफा (१) बमोजिम दिइएको पूर्ण वा आंशिक कर छुट सुविधाको कसैले दुरुपयोग गरेमा वा कुनै खास प्रयोजनको लागि छुट सुविधामा प्राप्त गरेको मालवस्तु अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गरेमा त्यसरी छुट दिइएको दस्तुर, शुल्क र कर रकम असुल उपर गरी सो रकम बराबर जरिवाना गरिनेछ ।
- (३) उपदफा (१) बमोजिम करको दर घटाइएको, बढाइएको वा कुनै दस्तुर, शुल्क र कर आंशिक वा पूर्णरूपमा छुट दिइएको विवरणको सूचना आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुका साथै यस्तो विवरण प्रत्येक वर्ष प्रदेश सभामा समेत पेश गर्नु पर्नेछ ।

११. प्रक्रिया सरलीकरण वा बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्ने: कर तथा गैर करसम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानून तथा यस ऐनको कार्यान्वयनको क्रममा सार्वजनिक शान्ति र व्यवस्थामा गम्भीर खलल पुगेको वा सार्वजनिक आवागमनमा अवरोध भएको वा विपद्को कारणले उल्लिखित कानूनले प्रदान गरेको कुनै सुविधा उपभोग गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना भएमा, कुनै जटिलता देखिएमा वा उल्लिखित कानून तथा यस ऐनको कार्यान्वयनमा कुनै बाधा अड्काउ पर्न गएमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आवश्यकता अनुसार अवधि थप गर्न, प्रक्रिया सरलीकरण गर्न वा कार्यान्वयनमा देखिएको बाधा अड्काउ फुकुवा गर्न सक्नेछ ।
१२. दण्ड र जरीवाना: यस ऐनको उल्लङ्घन वापत हुने दण्ड र जरीवानाको व्यवस्था यसै ऐनमा उल्लेख भएकोमा सोहीबमोजिम र उल्लेख नभएकोमा संघीय कानूनबमोजिम हुनेछ ।

अनुसूची - १

(दफा २ सँग सम्बन्धित)

रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र घरजग्गा रोक्का शुल्क

क. घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क:

| सि. नं. | लिखतको प्रकार | रजिष्ट्रेशन शुल्कको दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा | | | |
|---------|---|---|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | म.न.पा. क्षेत्रको शुल्क | उ.म.न.पा. क्षेत्रको शुल्क | न.पा. क्षेत्रको शुल्क | गा.पा. क्षेत्रको शुल्क |
| १. | राजिनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखत (क) राजिनामा, सट्टापट्टा र सगोलनामाको लिखतको थैली अङ्कमा | ५% | ४.५% | ४% | २% |
| | (ख) सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन आवास इकाईको लिखतको थैली अङ्कमा | ४% | ३% | २% | १% |
| | (ग) सामुहिक आवास योजना अन्तर्गत निर्मित भवन सहितको घरजग्गाको लिखतको थैली अङ्कमा | ५% | ४.५% | ४% | २% |
| २. | छोडपत्र दर्ताफारी (संयुक्त दर्तावाला वीचको) लिखतको थैली अङ्कमा | २.५% | २% | २% | १% |
| ३. | हालैदेखिको वकसपत्रको लिखत हालैदेखिको वकसपत्रको लिखतको थैली अङ्कमा (क) बाजे, बज्यै, आमा, बाबु, पति, पत्नी, दाजु, भाउजु, भाइ, भाईबुहारी दिदी, बहिनी, छोरा, छोराबुहारी, छोरी, छोरीज्वाई, सासु-ससुरा, जेठाजु, जेठानी, देवर, देउरानी, भतिजा, भतिजी, नाति, नातिनी, नातिनीबुहारी, काका, काकी, मामा माइज्यू, भाञ्जा भाञ्जी ठूलो-बुवा, ठूली आमा (बाबु तर्फका) आमाजु, नन्द, सौता-सौता र एकै दाजु भाईको छोरा, छोरी, फूपू र भदा भर्दै वीच । (अ) रु.१ लाखसम्मको थैली अङ्कमा | १.५% | १% | १% | ०.५% |
| | (आ) रु.१ लाखभन्दा माथि जतिसुकै थैली अङ्कमा | २.५% | २% | २% | १% |
| | (ख) अन्य वकसपत्र र दानपत्रको थैली अङ्कमा स्पष्टीकरण : सरकारी विश्व विद्यालय, सरकारी क्याम्पस/कलेज, सामुदायिक विद्यालय, सामुदायिक अस्पताल, नेपाल सरकारका कार्यालय, प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा नेपाल सरकारको नाममा प्राप्त हुने दानपत्रको लिखतमा कुनै शुल्क लाग्ने छैन । | १५% | १५% | १५% | १०% |
| ४. | अंशवण्डा तथा अंश भपाईको लिखत अंशवण्डा तथा अंश भपाईको लिखतमा (क) रु.३० लाखसम्मको थैली अङ्कमा | ०.२% | ०.२% | ०.२% | ०.२% |
| | (ख) रु.३० लाख भन्दा बढी रु. २ करोडसम्मको थैली अङ्कमा | ०.३% | ०.३% | ०.३% | ०.३% |
| | (ग) रु. २ करोड भन्दा माथिको थैली अङ्कमा | ०.५% | ०.५% | ०.५% | ०.५% |
| ५. | मानो छुट्टिएको र मानो जोडिएको लिखत (क) मानो छुट्टिएको प्रति लिखत | रु.१२००० | रु.११००० | रु.१०००० | रु.५००० |
| | (ख) मानो जोडिएको प्रति लिखत | रु.१५००० | रु.१२००० | रु.१०००० | रु.५००० |
| ६. | शेषपछिको वकसपत्रको लिखत शेषपछिको वकसपत्र/अष्टलोहको प्रतिलिखत | | | | |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | (क) तीन पुस्ताभित्रको | रु.७००० | रु.६००० | रु.५००० | रु.२००० |
| | (ख) तीन पुस्तावाहिरको | रु.१२००० | रु.११००० | रु.१०००० | रु.४००० |
| ७. | बन्धकीको लिखत दृष्टिबन्धकी, भोगबन्धकी, र लखबन्धकीको लिखतको थैली अंकमा | १% | १% | १% | १% |
| ८. | धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको लिखत धर्मपुत्र र धर्मपुत्रीको प्रति लिखतमा क) तीन पुस्ताभित्रको नातामा ख) तीन पुस्ता वाहिरको नातामा | रु.१००० रु.७००० | रु.१००० रु.६००० | रु.१००० रु.५००० | रु.१००० रु.४००० |
| ९. | अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारनामाको लिखत अधिकारनामा, मञ्जुरीनामा र अख्तियारनामाको लिखत | रु.२००० | रु.२००० | रु.२००० | रु.२००० |
| १०. | कपाली तमसुक र करारनामाको लिखत दाखील खारेज नहुने कपाली तमसुक र करारनामाको प्रति लिखत | १% | १% | १% | १% |
| ११. | सि.नं. ४ को अंशवण्डा तथा अंश भपाईको लिखत घर जग्गा भएको कुनै गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पारित गर्न सकिनेछ र सो बाहेकका अन्य सि.नं. १ देखि ८ सम्मका घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्ने लिखतहरू अर्को गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा पारित गर्न सकिने छैन । | | | | |

ख.सेवा शुल्क :

| सि नं | विवरण | सेवा शुल्कको दर अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक थैली अङ्कमा | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| | | म.न.पा. क्षेत्रको शुल्क | उ.म.न.पा. क्षेत्रको शुल्क | न.पा. क्षेत्रको शुल्क | गा.पा. क्षेत्रको शुल्क |
| १. | लिखत रजिष्ट्रेशनको लागि डोर माग गर्ने निवेदनमा डोर शुल्क लिखत रजिष्ट्रेशनको लागि डोर माग गर्ने निवेदनमा डोर शुल्क : (क) तराई क्षेत्रमा (ख) अन्य क्षेत्रमा | रु.१५००० रु.१५००० | रु.१०००० रु.७००० | रु.७००० रु.५००० | रु.३००० रु.२००० |
| २. | वित्तीय धितो नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्न स्वीकृत प्राप्त बैंक, वित्तीय तथा सहकारी संस्थाबाट दिने कर्जाको धितोबन्धक वा दृष्टिबन्धक लिखतमा (क) रु. १००,०००/- सम्मको लिखतको थैली अङ्कमा (ख) रु. १००,०००/- भन्दा बढी रु. ५,००,०००/- सम्मको थैली अङ्कमा (ग) रु. ५,००,०००/- भन्दा बढी रु.१०,००,०००/- सम्मको थैली अङ्कमा (घ) रु.१०,००,०००/- भन्दा बढी रु.२०,००,०००/- सम्मको थैली अङ्कमा (ङ) रु.२०,००,०००/- भन्दा बढी रु.५०,००,०००/- सम्मको थैली अङ्कमा (च) रु. ५०,००,०००/- भन्दा बढी रु. १,००,००,०००/- सम्मको थैली अङ्कमा (छ) रु. १,००,००,०००/- भन्दा बढी रु.२,००,००,०००/- सम्मको थैली अङ्कमा (ज) रु. २,००,००,०००/- भन्दा बढी रु.५,००,००,०००/- सम्मको थैलीमा अङ्कमा (झ) रु.५,००,००,००० भन्दा बढी जतिसुकै थैली अङ्कमा | रु.१००० रु.१५०० रु.२५०० रु.३००० रु.५००० रु.२०००० रु.३०००० रु.६५००० रु.१००००० | रु.१००० रु.१५०० रु.२५०० रु.३००० रु.५००० रु.२०००० रु.३०००० रु.६५००० रु.१००००० | रु.१००० रु.१५०० रु.२५०० रु.३००० रु.५००० रु.२०००० रु.३०००० रु.६५००० रु.१००००० | रु.१००० रु.१५०० रु.२५०० रु.३००० रु.५००० रु.२०००० रु.३०००० रु.६५००० रु.१००००० |
| ३. | लीज सरकारी जग्गा लीजमा उपलब्ध गराउने | सरकारी जग्गा दर्ता तथा लीजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ को अनुसूची- १ अनुसारको शुल्क लाग्नेछ । | | | |
| ४. | जग्गाधनि दर्ता श्रेस्ताको प्रतिलिपिको लागि (टिकट बाहेक) प्रति पर्जा (क) तराई क्षेत्र (ख) अन्य क्षेत्र नोट: जुनसुकै प्रयोजनको लागि प्रतिलिपि लिँदा समेत लागू हुनेछ, | रु.१००० रु.१००० | रु.७०० रु.५०० | रु.५०० रु.३०० | रु.२०० रु.१०० |

| | | | | | | |
|--|---|---|---------|---------|---------|---------|
| ५. | दाखिल खारेज शुल्क | | | | | |
| | (क) करार अनुसार लिखत पारित गर्न ठहर्‍याएको फैसला वा मिलापत्र अनुसारको दाखिल खारेज गर्दा | ५% | ४.५% | ४% | २% | |
| | (ख) अन्य मिलापत्र (अंश र अपुताली बाहेक) को दाखिल खारेज गर्दा | ३% | २.५% | २% | १% | |
| | (ग) बैंक वित्तिय संस्था वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पत्रानुसार व्यक्तिको नाउमा दा.खा. गर्दाको थैली अङ्कमा | ५% | ४.५% | ४% | २% | |
| | (घ) बैंक वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाबाट कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाम गर्दा व्यक्तिले सकार नगरी ऋणीकै नामबाट बैंक वित्तीय संघ वा सहकारी संस्थाले आफ्नो नाउमा दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल | रु.७००० | रु.६००० | रु.५००० | रु.२००० | |
| | (ङ) बैंक, वित्तीय संस्था वा सहकारी संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्दा लिएको धितो लिलाममा बैंक वा संस्था आफैले सकार गरेपछि सम्बन्धित ऋणीलाई नै फिर्ता गर्दा पारित गर्ने लिखतको थैली अङ्कमा | २.५% | २% | २% | १% | |
| | (१) भूमिसुधार कार्यालयबाट जग्गा बाँडफाड भई दा.खा. हुन आउदा प्रति मिसिल | रु.५०० | रु.४०० | रु.३०० | रु.२०० | |
| (२) अदालत वा न्यायिक निकायको फैसलाबमोजिम लिलाम बढावढ गरी दाखिल खारेज गर्दा प्रति मिसिल | रु.५००० | रु.३००० | रु.१००० | रु.५०० | | |
| (च) शेषपछिको बकसपत्रको दाखिल खारेज (क) तीनपुस्ता भित्रको भए | सबै क्षेत्रका लागि अंशवडा सरह | | | | | |
| (ख) तीनपुस्ता बाहिरको भए (थैली अङ्क)मा | सबैक्षेत्रका लागि राजिनामा सरह | | | | | |
| ६. | नामसारी | नामसारी | | | | |
| | (क) तीन पुस्ता भित्रको नामसारी गर्दा | रु.१५०० | रु.१२०० | रु.१००० | रु.५०० | |
| (ख) तीन पुस्ताभन्दा बाहिरको नामसारी गर्दा | रु.३५०० | रु.३००० | रु.३००० | रु.१५०० | | |
| ७. | हाल साविक | पुनः नापजाँच पछिको श्रेस्ता हाल साविक तथा अचावधिक गर्दा प्रति मिसिल | रु.४०० | रु.३०० | रु.२०० | रु.१०० |
| ८. | घर कायम | श्रेस्ता पूर्जामा घर जनाउने प्रति निवेदनमा | रु.२५०० | रु.२००० | रु.२००० | रु.५०० |
| ९. | संशोधन शुल्क | मालपोत ऐन २०३४ को दफा ७ (३) अनुसारको विवरणमा संशोधन गर्नु पर्दा प्रति मिसिल | रु.३०० | रु.२०० | रु.१०० | रु.५० |
| १० | रोक्का शुल्क: | क) लिखत रजिष्ट्रेशन भएकोमा (थैली अङ्क जतिसुकै भएपनि) | नलाग्ने | नलाग्ने | नलाग्ने | नलाग्ने |
| | | ख) लिखत रजिष्ट्रेशन नहुनेमा (अ) रु.१००,०००। सम्मको ऋण अङ्कमा | रु.५०० | रु.४०० | रु.३०० | रु.२०० |
| | | (आ) रु. १,०००००। भन्दा बढी रु.५,००,०००। सम्म | रु.८०० | रु.७०० | रु.५०० | रु.३०० |
| | | (इ) रु. ५ लाख भन्दा बढी जतिसुकै ऋण अङ्कमा | रु.१००० | रु.८०० | रु.७०० | रु.५०० |
| | | (ई) ऋण अङ्क नखुलेकोमा | रु.५००० | रु.४००० | रु.३००० | रु.२००० |

ग. विविध:

| | |
|----|--|
| १. | जलविद्युत उद्योग, चिया खेती, कफी खेती, कपास खेती, पुष्प व्यवसाय, तरकारी खेती, पशुपक्षीपालन, अलैची खेती, जाडवुटी खेती एवं फलफूल उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपरित भएको पाइएमा छुट भएको रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबर जरिवाना गर्नु पर्नेछ। |
| २. | सामुहिक खेती योजना अन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउने उद्देश्यले व्यक्तिहरू मिली जग्गाको चक्का मिलाई खेती गर्ने उद्योग खोली त्यस्तो उद्योगको नाममा लिखत पारित भएमा सो मा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचहत्तर प्रतिशत छुट हुनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपरित भएको पाइएमा छुट भएको रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबर जरिवाना गर्नु पर्नेछ। |
| ३. | प्रदेशभित्र सुती, गुड्खा, पानपराग र मंदिराजन्य उद्योग बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योगले उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने उद्योगको नाममा खरीद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पचास प्रतिशत छुट हुनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपरित भएको पाइएमा छुट भएको रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबर जरिवाना गर्नु पर्नेछ। |
| ४. | प्रदेशभित्र कृषि ऋण, बीमा संस्थान, बीमा समितिबाट स्वीकृत प्राप्त बीमा कम्पनी, विश्वविद्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्ना बहालवाला कर्मचारीहरूलाई सेवा सतर्वमोजिम दिने ऋण सुविधाको धितो बन्धक लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट हुनेछ। तर सेवा शुल्क रु. १०००।- लाग्नेछ। |

| | |
|-----|--|
| ५. | (क) प्रदेशभित्र कर्मचारी सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषले नियमित बचत जम्मा गर्ने आफ्ना सञ्चयकर्ताहरूलाई ऋण सुविधा उपलब्ध गराउँदा लिने धितोको धितो बन्धक लिखत पारित गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट हुनेछ। तर सेवा शुल्क रु. ५००/- लाग्नेछ। (ख) सहकारी ऐन, २०७४ बमोजिम दर्ता भै संचालनमा रहेका सहकारी संस्थाहरूले आफ्ना शेयर सदस्यहरू बीच ऋण लगानी/प्रवाह गर्दा तीस लाख रुपैयाँ सम्मको थैली अड्डामा रोक्का शुल्क बाहेक सेवा शुल्क छुट हुनेछ। सो भन्दा माथिको थैली अंकमा खण्ड ख. सेवा शुल्क महलको सि.नं. २ बमोजिमको सेवा शुल्क लाग्ने छ। |
| ६. | (क) प्रदेशभित्र बैकिङ तथा वित्तिय व्यवसाय र विमा व्यवसाय गर्ने एकै प्रकृतिका निकायहरू एक आपसमा गाभिन चाहेमा गाभिन संस्थाहरूले सो प्रयोजनका लागि घरजग्गाको एकत्रित गर्दा संशोधन शुल्क बाहेक अन्य शुल्क लाग्ने छैन। (ख) जनयुद्ध, जनशान्दोलन पहिलो, दोश्रो र मधेश आन्दोलनमा सहादत प्राप्त गरेका शहीदका आश्रित पति, पत्नि, छोरा र छोरी तथा माता-पिताको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुने गरी पारित हुने लिखतमा यस ऐन बमोजिम लाग्ने सबै प्रकारको शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ। |
| ७. | अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित एवं पिछडिएका जाती भनी स्थानीय निकायबाट प्रमाणित भएको सिफारिस वा आधिकारीक प्रमाणको आधारमा तिनीहरूको नाममा स्वामित्व प्राप्त हुँदा यस ऐन बमोजिम असुल गरिने घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ। |
| ८. | महिला, सत्तरी वर्ष भन्दा बढी उमेरका ज्येष्ठ नागरिक र नाबालकको नाममा जुनसुकै प्रकारबाट स्वामित्व प्राप्त हुने गरि पारित हुने लिखतमा यस ऐन बमोजिम लगाइएको रजिष्ट्रेशन शुल्कमा पच्चीस प्रतिशत छुट हुनेछ। तर एकल महिलाको हकमा भने पैतिस प्रतिशत छुट हुनेछ। |
| ९. | (क) हाल पति वा पत्नीको नाममा कायम रहेको घर जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गरी पति-पत्नी दुवैको संयुक्त स्वामित्वको रूपमा लिखत गर्न चाहेमा सो संगोलनामाको लिखतमा रु.१००/- मात्र रजिष्ट्रेशन शुल्क लाग्नेछ। (ख) ३०० जना भन्दा बढी व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना गर्न वा विस्तार गर्नका लागि जग्गा खरीद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्कको लिखतमा ५०% छुट दिइनेछ। तर त्यस्तो जग्गाको प्रयोग उद्देश्य विपरित भएको पाइएमा छुट भएको रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल गरी सोही रकम बराबर जरिवाना गर्नु पर्नेछ। (ग) भूमिहिन मुक्त कर्मैया र मुक्त हलिया परिवारले सहूलियत ऋण र अनुदान प्राप्त गरी खरीद गरेको जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क, सेवा शुल्क र रोक्का शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ। |
| १०. | बैंक, वित्तिय एवं सहकारी संघ वा संस्था र अदालतबाट भई आएको मिलापत्र अनुसार दाखिल खारेज गर्नुपर्दा सेवा शुल्क असुल गर्ने प्रयोजनको लागि रजिष्ट्रेशन प्रयोजनको लागि तोकेको न्यूनतम मूल्य र मिलापत्र वा बैंक, वित्तिय एवं सहकारी संघ संस्थाको पत्रमा उल्लेख भएको मूल्य मध्ये जुन बढी हुन्छ, सोहीलाई कायम गर्नुपर्नेछ। |
| ११. | धार्मिक तथा सामाजिक हितका निमित्त स्थापित नेपालमा दर्ता भएका संघ संस्था वा निकायले आफ्नो नाउमा निशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा ५० प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट दिन सक्नेछ। |
| १२. | प्रदेशभित्र यो ऐन लागू हुँदाका बखत नेपाल सरकारबाट घोषणा भएका वा यस पछि घोषणा हुने नगरपालिकाको हकमा त्यस्ता नगरपालिकाको नाम र क्षेत्र निर्धारण गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको मिति देखि यस अनुसूची बमोजिमको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन शुल्क र सेवा शुल्क लाग्नेछ। |
| १३. | सहकारी ऐन, २०७४ अन्तर्गत दर्ता भएका सहकारी संस्थाहरूले संस्थाको प्रयोजनको लागि मात्र पहाडी क्षेत्रमा २ रोपनी, तराई र भित्री मधेशमा ३ कठ्ठासम्म जग्गा र भवन खरीद गर्दा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क सहकारी विभागको सिफारिसमा लाग्ने रजिष्ट्रेशन शुल्क पूर्ण रूपमा छुट हुनेछ, तर त्यस्ता सहकारी संस्थाले रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट सुविधामा खरीद गरेको जग्गा तथा भवन संस्था गाभिएको वा विघटन भएको अवस्थामा बाहेक विक्रि गरेमा पहिले छुट दिएको रजिष्ट्रेशन शुल्क असुल उपर गरिनेछ। |
| १४. | विविधको क्रमसंख्या ७, ८, ९ र १० बमोजिम छुट दिँदा एकै व्यक्तिलाई एकभन्दा बढी आधारमा छुट पाउने भएमा सबैभन्दा बढी कुनै एकमात्र छुट दिइने छ। |
| १५. | एउटै कारोवारबाट ५० लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा माथिको घर वा जग्गा खरीद विक्री गर्दा क्रेताले बैंकबाट भुक्तानीको लागि योग्य (गुड फर पेमेन्ट) भनी छाप लागेको चेकको फोटोकपी पेश गरेपछि वा विक्रेताका नाममा बैंकमा रहेको खातामा रकम जम्मा गरेको बैंक भौचरको फोटोकपी पेश गरेपछि मात्र लिखत पारित गर्नेछ। |
| १६. | पति पत्नीको संयुक्त नाममा पारित हुने लिखतमा महिला सरह रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट दिइनेछ। |
| १७. | तीनपुस्ता भित्र छोरी वा नातिनीहरूमा संयुक्त नामसारी भई दर्ताफारी गर्दा क्रमसंख्या २ मा उल्लिखित छोडपत्रको दररेटको आधा शुल्क लाग्नेछ। |
| १८. | नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह अन्तर्गत कुनै एक निकायको नाममा रहेको जग्गा नेपाल सरकारको अर्को कुनै निकायको नाममा रजिष्ट्रेशन वा दाखिल खारेज गर्नु पर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा सेवा शुल्क लाग्ने छैन। |
| १९. | कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुनै निकायलाई निःशुल्क रूपमा प्राप्त भएमा वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कुनै पनि निकायले खरीद गरि लिएमा सो मा रजिष्ट्रेशन शुल्क तथा सेवा शुल्क लाग्ने छैन। |
| २०. | वैदेशिक रोजगारीबाट बैकिङ प्रणाली मार्फत रेमिटयान्स प्राप्त भएको बैंकको प्रमाणित कागजातको आधारमा त्यस्तो रेमिटयान्सबाट खरीद हुने जग्गाको लिखतमा पच्चीस प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क छुट दिइनेछ। |

अनुसूची - २
(दफा ३ सँग सम्बन्धित)
सवारी साधन कर

| सवारी साधन कर | |
|---|---------------|
| १. निजी सवारी साधनमा देहाय बमोजिम सवारी साधन कर लाग्नेछ :- | |
| सवारीको किसिम | |
| (क) कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस | वार्षिक कर दर |
| (अ) १००० सी.सी सम्म | रु.२१००० |
| (आ) १००१ देखि १५०० सी.सी सम्म | रु.२३००० |
| (इ) १५०१ सी.सी. देखि २००० सी.सी. सम्म | रु.३०००० |
| (ई) २००१ सी.सी. देखि २५०० सी.सी. सम्म | रु.३५५०० |
| (उ) २५०१ सी.सी. देखि २९०० सी.सी. सम्म | रु.४१००० |
| (ऊ) २९०१ सी.सी. देखि माथि सबै | रु.५८५०० |
| (ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण र मिनीटिपररु | |
| (अ) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण | रु.३८५०० |
| (आ) मिनीटिपर | रु.२७५०० |
| (ग) ट्रेक्टर | रु.४५०० |
| (घ) मिनिट्रक/मिनिबस | रु.२४५०० |
| (ङ) ट्रक/बस | रु.३३००० |
| (च) मोटर साइकल | |
| (अ) १२५ सी.सी. सम्मको | रु.२८०० |
| (आ) १२६ देखि २५० सी.सी. सम्म | रु.४५०० |
| (इ) २५१ देखि ४०० सी.सी. सम्म | रु.९००० |
| (ई) ४०१ सी.सी. र सो देखि माथि | रु.१६५०० |
| २. भाडामा दर्ता भएका सवारी साधनमा देहाय बमोजिम सवारी साधन कर लाग्नेछ :- | |
| सवारीको किसिम | |
| (क) कार, जिप, भ्यान, माइक्रो बस | वार्षिक कर दर |
| (अ) १३०० सी.सी.सम्म | रु.८५०० |
| (आ) १३०१ सी.सी. देखि २००० सी.सी. सम्म | रु.९५०० |
| (इ) २००१ सी.सी.देखि २९०० सी.सी.सम्म | रु.११५०० |
| (ई) २९०१ सी. सी. देखि ४००० सी.सी. सम्म | रु.१३५०० |
| (उ) ४००१ सी.सी. र सोभन्दा माथि सबै | रु.१६००० |
| (ख) डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ट्रिपर, क्रेन जस्ता मेशिनरी उपकरण | रु.१८००० |

| | |
|----------------------|---|
| (ग) ट्रैक्टर | रु.२७०० |
| (घ) मिनीट्रक, मिनीबस | रु.१२५०० |
| (ङ) मिनी ट्रिपर | रु.१५००० |
| (च) ट्रक, बस | रु.१७००० |
| ३. | नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानिय तहको नाउँमा दर्ता भएका सवारी साधनहरूलाई दफा २ बमोजिम लाग्ने सरह कर लाग्नेछ । |
| ४. | विद्युतीय माध्यमद्वारा सञ्चालित सवारी साधनमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन । पेट्रोलियम पदार्थ बाहेक अन्य इन्धनद्वारा सञ्चालन हुने सवारी साधनमा दफा १ र २ बमोजिम लाग्ने सवारी साधन करमा वीस प्रतिशत छुट हुनेछ । |
| ५. | सुरु पैठारी मितिले एक वर्षभन्दा कम अवधि भएमा दामासाहीले सवारी साधन कर कट्टा गरिनेछ । तर व्यापार मौज्जातमा रहेका सवारी साधनमा यस्तो कर लाग्ने छैन । |
| ६. | सवारी साधन बिग्रेको वा अन्य कुनै कारणबाट सो सवारी साधन चलाउन नपाएको भनी नेपाल सरकारले ठहर्‍याएको कुनै व्यक्ति वा संस्थाको नाममा दर्ता भएको सवारी साधनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन । |
| ७. | साविकमा बागमती अञ्चलमा दर्ता भई उत्पादनका मितिले पन्ध्र वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनहरूलाई लाग्ने सवारी साधन करमा चौध वर्षभन्दा बढीको प्रत्येक वर्षका लागि पाँच प्रतिशतका दरले थप गरी सवारी साधन कर लाग्नेछ । तर यस्तो थप गरिएको रकम सवारी साधनको लागि तोकिएको कर रकमभन्दा बढी हुने छैन । |
| ८. | भाडाका बस, मिनीबस तथा माइक्रोबसका सवारी साधनले विद्यार्थीलाई सहूलियतको रूपमा भाडामा छुट दिएवापत त्यस्ता सवारी साधनका धनीले तिर्नु पर्ने सवारी साधन करमा साठी प्रतिशत छुट पाउनेछन् । |
| ९. | जुनसुकै सवारी साधनका धनीले चाहेमा लाग्ने सवारी साधन कर प्रचलित दरका आधारमा एकमुष्ट रूपमा पाँच वर्षसम्मका लागि एकैपटक भुक्तानी गरी नवीकरण गराउन सक्नेछन् । यसरी अग्रिम रूपमा पाँच वर्षको सवारी साधन कर एकमुष्ट बुझाई नवीकरण गराएमा लाग्ने सवारी साधन करमा दस प्रतिशत छुट हुनेछ । |
| १०. | सार्वजनिक संग्रहालयमा प्रदर्शनीका लागि राखिएका वीस वर्षभन्दा पुराना सवारी साधनलाई वार्षिक तिर्नुपर्ने सवारी साधन कर लाग्ने छैन । |
| ११. | दफा १ र २ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि दमकल, एम्बुलेन्स तथा शव वाहनलाई सवारी साधन कर लाग्ने छैन । |
| १२. | बीस लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सवारी साधन खरिद गर्दा सम्बन्धित सवारी साधन क्रेताले एकाउन्ट पेयी चेकबाट मात्र विक्रेतालाई रकम भुक्तानी गर्नु पर्नेछ । |
| १४. | यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी बनाईका १५० सी.सी. सम्मका स्कूटरमा सवारी साधन कर लाग्ने छैन । |
| १५. | नेपालमा हाल सञ्चालनमा रहेका पुराना ट्रकलाई नेपालमा नै बन्द कन्टेनरको रूपमा रूपान्तरण गर्न निवेदन दिने सवारी साधनका धनीलाई निजले बुझाउनु पर्ने सवारी साधन कर वापत पचास हजार रुपैयाँ वा चार वर्षको सवारी साधन कर वापत हुन आउने रकममध्ये जुन घटी हुन्छ सो बराबरको रकम छुट दिइनेछ । तर यस्तो छुट सुविधा दश वर्ष भन्दा पुराना ट्रकहरूलाई दिइने छैन । |
| १६. | सार्वजनिक यातायातका रूपमा सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका प्रा.लि. कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने सार्वजनिक बसहरूले तिर्ने सवारी साधन करमा पच्चीस प्रतिशत छुट दिइनेछ । |
| १७. | हुवानी कार्य सञ्चालन गर्ने गरी दर्ता भएका प्रा.लि. कम्पनीहरूले सञ्चालन गर्ने १० टन भन्दा माथिका बन्द कन्टेनर र ठूला ट्रकहरूले तिर्ने सवारी साधन करमा पच्चीस प्रतिशत छुट दिइनेछ । |
| १८. | नेपाल सरकारले जफत गरी लिलाम बिक्री गरेको सवारी साधनमा सो मिति भन्दा अगाडिको अवधिको यस्तो कर लाग्ने छैन । |

अनुसूची - ३
(दफा ४ सँग सम्बन्धित)
मनोरञ्जन कर

| सि.नं. | विवरण | दर | कैफियत |
|--------|--|---------------------------------|--------|
| १. | मनोरञ्जनको लागि टिकट खरिद गर्नु पर्ने चलचित्र घर र हाट बजार, मेला, साँस्कृतिक प्रदर्शन हल, थिएटर तथा कन्सर्ट आदि | टिकटमा उल्लेखित रकमको ५ प्रतिशत | |
| २. | मनोरञ्जन करका लागि एकमुष्ट रकम तोकिएको मनोरञ्जनको साधनमा | प्रतिदिन रु.५०० | |

अनुसूची - ४
(दफा ६ सँग सम्बन्धित)
दहत्तर बहत्तर शुल्क

| सि.नं. | विवरण | दर रु. (प्रति क्यू फिट) | कैफियत |
|--------|----------------------------|-------------------------|--------|
| १. | ढुंगा, गिटी, रोडा, ग्रावेल | ३ | |
| २. | बालुवा | २.५० | |
| ३. | माटो (भरौट र बलौटे) | १.२५ | |
| ४. | चुनढुंगा | ३ | |

अनुसूची - ५
(दफा ७ सँग सम्बन्धित)
जिल्ला निकासी शुल्क

| क्र.सं. | विवरण | ईकाइ | दर रु.मा |
|---------|------------------------------|-----------------|----------|
| १. | उन (प्राकृतिक, कृत्रिम जगर) | के.जी | ०.१० |
| २. | खोटो | के.जी | ०.५० |
| ३. | भेनिस्ता | फुलबडी ट्रक | २००० |
| ४. | भेनिस्ता | हाल्फबडी ट्रक | १००० |
| ५. | भेनिस्ता | प्रति ट्रयाक्टर | १००० |
| ६. | चिरैतो | के.जी | १० |
| ७. | यार्सागुम्बा | के.जी | ३००० |
| ८. | रिद्धा | के.जी | २ |
| ९. | पांग्रा | के.जी | १ |
| १०. | सिन्कौली (दालचिनी) | के.जी | ५ |
| ११. | चावो | के.जी | २ |
| १२. | जटामसी | के.जी | ७ |
| १३. | मजिटो | के.जी | ५ |
| १४. | नागवेली पिठो | के.जी | ५ |
| १५. | पिपला | के.जी | २ |
| १६. | ईन्द्रेणी वियाँ | के.जी | ०.२५ |
| १७. | विखमा | के.जी | १५ |
| १८. | विषजरा | के.जी | ५ |
| १९. | प्याज | के.जी | ०.२५ |
| २०. | वन प्याज | के.जी | १ |
| २१. | सर्पगन्धा | के.जी | ५ |
| २२. | धुपी | के.जी | ५ |
| २३. | भुयाउ | के.जी | ५ |
| २४. | लौठ सल्ला | के.जी | १५ |
| २५. | दुङ्गे सल्ला | के.जी | १० |
| २६. | लक्सी विया | के.जी | १ |
| २७. | चिउरीको वियाँ | के.जी | १ |
| २८. | पाखनवेद | के.जी | ५ |
| २९. | बेल | के.जी | २ |
| ३०. | ओखर | के.जी | ५ |
| ३१. | लाहा | के.जी | २ |
| ३२. | कुरिलोको जरा | के.जी | २ |
| ३३. | हाडे लसुन | के.जी | २ |
| ३४. | हर्रो, बर्रो | के.जी | १ |
| ३५. | बोभो | के.जी | २ |

| | | | |
|-----|---------------------------|----------------------------|--------|
| ३६. | जिववन्ती | के.जी | २ |
| ३७. | तितेपाती | के.जी | १ |
| ३८. | अमला | के.जी | १ |
| ३९. | च्याउ | के.जी | १ |
| ४०. | पदमचाल | के.जी | ४ |
| ४१. | अदुवा सुठो | के.जी | १ |
| ४२. | अदुवा | के.जी | ०.५० |
| ४३. | टिमुर | के.जी | १ |
| ४४. | उल्लेख नभएका अन्य जडिवुटि | के.जी | १.५० |
| ४५. | छ्वाली | प्रति ट्रक/प्रति ट्रयाक्टर | १००/८० |
| ४६. | खर, पराल | प्रति ट्रक/प्रति ट्रयाक्टर | १००/८० |
| ४७. | बाबियो, निगालो | के.जी. | १.५० |
| ४८. | लोक्ता | के.जी. | २ |
| ४९. | पटेर, अम्लीसो कुचो | के.जी | ०.५० |
| ५०. | बाँस | प्रति गोटा | १ |
| ५१. | विछ्याउने दुङ्गा, स्लेट | प्रति वर्ग फिट | २ |
| ५२. | सुर्तिको डण्ठल कतरन नसल | प्रति के.जी. | ०.५० |
| ५३. | सालको वियाँ | प्रति के.जी. | १ |
| ५४. | सल्लाको सिम्टा | प्रति के.जी. | ०.५० |
| ५५. | सिलाजित | प्रति के.जी. | ५ |
| ५६. | कुरिङ्ग दुङ्गा | प्रति के.जी. | ५ |
| ५७. | टुरमालिन् | प्रति के.जी. | १००० |
| ५८. | क्वार्ज | प्रति के.जी. | ५० |
| ५९. | पक्षीको प्वाख | प्रति के.जी. | ५ |
| ६०. | हाड | प्रति के.जी. | ५ |
| ६१. | सिड | प्रति के.जी. | ५ |
| ६२. | खुर | प्रति के.जी. | ५ |
| ६३. | काचो छाला | प्रति के.जी. | ३० |
| ६४. | नेपाली कागज | प्रति कोरी | ५ |
| ६५. | अर्गोली | प्रति के.जी. | २ |
| ६६. | भिर मौरीको मह | प्रति के.जी. | ५ |
| ६७. | खयर | प्रति के.जी. | १ |
| ६८. | काठको विड, बोर्ड | प्रति ट्रक | १००० |
| ६९. | काठको विड, बोर्ड | प्रति ट्रयाक्टर | ६०० |
| ७०. | काठको खाट | प्रति गोटा | १० |
| ७१. | काठको टेवल | प्रति गोटा | ५ |
| ७२. | काठको कुर्सी | प्रति गोटा | ५ |
| ७३. | काठको दराज | प्रति गोटा | १० |
| ७४. | वस्ने मुडा | प्रति गोटा | १ |

| | | | |
|------|--|-----------------|------|
| ७५. | नरिवल सुकेको | प्रति के.जी | ०.५० |
| ७६. | नरिवल काँचो | प्रति गोटा | ०.१० |
| ७७. | अलैची | प्रति के.जी | १० |
| ७८. | दाना(रुद्राक्ष) मुल्यवान वाहेक | प्रति के.जी. | १ |
| ७९. | तरकारी (बन्दाकोपी फूलकोपी,स्कूस) | प्रति मन | ५ |
| ८०. | अन्य तरकारीजन्य वस्तु | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| ८१. | सुन्तला, कागती, | प्रति के.जी. | १ |
| ८२. | नासपाती | प्रति के.जी. | ०.५० |
| ८३. | आलु | प्रति मन | १० |
| ८४. | छुर्पि | प्रति के.जी. | २ |
| ८५. | गलैचा | प्रति गोटा | २० |
| ८६. | राडी पाखी | प्रति गोटा | १० |
| ८७. | माछा सुकेको | प्रति पेरुङ्गो. | ५ |
| ८८. | माछा आलो | प्रति के.जी. | २ |
| ८९. | माछाका भुरा | प्रति टुक | १००० |
| ९०. | माछाका भुरा | प्रति भार | २० |
| ९१. | चिया सुकेको तयारी | प्रति के.जी. | २ |
| ९२. | चिया हरीयो पत्ती | प्रति के.जी. | ०.२० |
| ९३. | कफी | प्रति के.जी. | २ |
| ९४. | गाई, गोरु | प्रति गोटा | १०० |
| ९५. | राँगा, भैसी, घोडा | प्रति गोटा | १५० |
| ९६. | भेडा, वाखा, खसी, बोका | प्रति गोटा | ३० |
| ९७. | सुगुर, वंगुर | प्रति गोटा | ३० |
| ९८. | पाँडा पाडी, बाच्छा बाच्छी | प्रति गोटा | १० |
| ९९. | अन्य चौपाया | प्रति गोटा | २० |
| १००. | हाँस, कुखुरा | प्रति गोटा | ५ |
| १०१. | सखर | प्रति मन | २० |
| १०२. | केरा | प्रति घरी | ५ |
| १०३. | सुकेको हर्दी | प्रति के जी | २ |
| १०४. | सुकेको लसुन | प्रति के.जी. | २ |
| १०५. | जुनार, निबुवा | प्रति के.जी. | २ |
| १०६. | बोडी, गहत, दाल, फिलुङ्गे, दलहन, भटमास र कालो मास | प्रति के.जी | ०.२५ |
| १०७. | आँप, लिची | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| १०८. | काँचो हर्दी | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| १०९. | कटहर | प्रति के.जी. | ०.१० |
| ११०. | तोरी र तेलहन | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| १११. | पिना | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| ११२. | गाँहु, धान | प्रति के.जी. | ०.०५ |
| ११३. | चामल | प्रति के.जी. | ०.०५ |

| | | | |
|------|--------------------------------|----------------------|---------|
| ११४. | कोदो | प्रति के.जी. | ०.१० |
| ११५. | मैदा पिठो | प्रति के.जी | ०.१० |
| ११६. | मकै | प्रति के.जी | ०.०५ |
| ११७. | सुर्यमुखि | प्रति के.जी | ०.१० |
| ११८. | गुण लाली | प्रति टिन | २ |
| ११९. | फापर, खरबुजा, काको | प्रति के.जी | ०.१५ |
| १२०. | मुराही, चिउरा | प्रति के.जी | ०.०५ |
| १२१. | भुई कटहर | प्रति के.जी | ०.२५ |
| १२२. | पानको पात | प्रति टोकरी | २ |
| १२३. | पिडालु | प्रति के.जी | ०.१० |
| १२४. | उखु | प्रति ट्रक/ट्रयाक्टर | २००/१०० |
| १२५. | सनपाट | प्रति के.जी | ०.०५ |
| १२६. | तित्री(इमली) | प्रति के.जी | ०.१० |
| १२७. | तरुलजन्य वस्तु | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| १२८. | मन्जा | प्रति के.जी. | ०.३० |
| १२९. | मोलासिस | प्रति ट्रक | ५०० |
| १३०. | भुसा | प्रति के.जी. | ०.३० |
| १३१. | सुपाडी काँचो | प्रति के.जी. | १ |
| १३२. | सुपाडी सुकेको | प्रति के.जी. | ३ |
| १३३. | छकडा अन्य मसलाजन्य वस्तु | प्रति के.जी. | ०.५० |
| १३४. | सिन्का बाँसको | प्रति मन | ३० |
| १३५. | मिनरल वाटर | प्रति लिटर | ०.१० |
| १३६. | मार्बल | प्रति स्क्वायर फिट | १ |
| १३७. | पटुवा | प्रति मन | १५ |
| १३८. | सुर्ती | प्रति के.जी. | १५ |
| १३९. | अण्डा | प्रति ब्यारेट | १ |
| १४०. | चोकर | प्रति के.जी. | ०.०५ |
| १४१. | ब्रानको तेल | प्रति लिटर | १० |
| १४२. | भुस इनधनमा प्रयोग हुने | प्रति के.जी | ०.०५ |
| १४३. | सिसौ, साल गोलिया | प्रति ब्यू. फिट | १५ |
| १४४. | सिसौ, साल चिरान | प्रति ब्यू. फिट | १२ |
| १४५. | अन्य काठ, चट्टा चिरान / गोलिया | प्रति ब्यू. फिट | ५ |
| १४६. | दाउरा चट्टा | प्रति ट्रयाक्टर | १०० |
| | | प्रति ट्रक हाफ | २०० |
| | | प्रति ट्रक सानो फुल | ३०० |
| | | प्रति ठुलो ट्रक | ४०० |
| १४७. | प्लाई बोर्ड | प्रति ट्रक | १००० |
| १४८. | रोला बोर्ड | प्रति ट्रक | ६०० |
| १४९. | तेज पत्ता | प्रति के.जी. | २ |

| | | | |
|------|--|--------------|-------|
| १५०. | लेमनग्रासको तेल, सिटानोलको तेल, अदुवाको तेल | प्रति लिटर | १० |
| १५१. | कथ्या,लप्सीको बिया | प्रति के.जी. | १ |
| १५२. | पामारोजा तेल, सिंगर तेल, | प्रति लिटर | १० |
| १५३. | भेनियर पत्ता ठुलो टुक | प्रति टुक | ६०० |
| १५४. | कच, रोजिन | प्रति के.जी. | ०.१० |
| १५५. | तारपीन तेल | प्रति लिटर | ०.२० |
| १५६. | कपास | प्रति के.जी. | ०.१० |
| १५७. | सिमलको भुवा | प्रति के.जी. | ०.५० |
| १५८. | उन(भेडा, खरायो) | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| १५९. | जावो | प्रति के.जी. | १ |
| १६०. | कुडकी | प्रति के.जी. | १ |
| १६१. | जमान मान्द्रो | प्रति के.जी. | २ |
| १६२. | चुत्रो | प्रति के.जी. | २ |
| १६३. | अम्लिसोको तयारी कुचो | प्रति गोटा | ३ |
| १६४. | सुनपाति | प्रति के.जी. | १० |
| १६५. | सुगन्धावाला | प्रति के.जी. | ५ |
| १६६. | पदमचाल | प्रति के.जी. | २ |
| १६७. | पैयुको बोक्रा | प्रति के.जी. | १ |
| १६८. | साल धुप | प्रति के.जी. | १ |
| १६९. | लेमनग्रास | प्रति के.जी. | १ |
| १७०. | कदमको दाना | प्रति के.जी. | १ |
| १७१. | अकवरे खुर्सानी हरियो | प्रति के.जी. | ०.५० |
| १७२. | अकवरे खुर्सानी सुकेको | प्रति के.जी. | १.५० |
| १७३. | डोको, नाइलो, डालो, मान्द्रो (व्यावसायीक निकासी मात्र) | प्रति गोटा | २ |
| १७४. | रुदाक्ष दुई मुखी | प्रति गोटा | १६० |
| १७५. | रुदाक्ष तिन मुखी | प्रति गोटा | ४ |
| १७६. | रुदाक्ष सात मुखी | प्रति गोटा | २ |
| १७७. | रुदाक्ष ८,९,१०,११ मुखी | प्रति गोटा | २० |
| १७८. | रुदाक्ष १२ मुखी | प्रति गोटा | ४० |
| १७९. | रुदाक्ष १३ मुखी | प्रति गोटा | ८५ |
| १८०. | रुदाक्ष १४ मुखी | प्रति गोटा | २५० |
| १८१. | रुदाक्ष १५ मुखी | प्रति गोटा | २०० |
| १८२. | रुदाक्ष १६ मुखी | प्रति गोटा | ३५० |
| १८३. | रुदाक्ष १७ मुखी | प्रति गोटा | ९०० |
| १८४. | रुदाक्ष १८ मुखी | प्रति गोटा | १९०० |
| १८५. | रुदाक्ष १९ मुखी | प्रति गोटा | ५५०० |
| १८६. | रुदाक्ष २० मुखी | प्रति गोटा | ९५०० |
| १८७. | रुदाक्ष २१ मुखी | प्रति गोटा | २५००० |
| १८८. | रुदाक्ष २२,२३,२४,२५ मुखी | प्रति गोटा | १९००० |

| | | | |
|------|--|----------------|-------|
| १८९. | रुद्राक्ष २६ र २७ सुखी | प्रति गोटा | ३५००० |
| १९०. | रुद्राक्ष गौरी पाठ र त्रिपाठ | प्रति गोटा | २५०० |
| १९१. | रुद्राक्ष गौरीशंकर | प्रति गोटा | २५ |
| १९२. | गणेश | प्रति गोटा | २ |
| १९३. | सुगुरको जगर | प्रति के.जी. | ०.२५ |
| १९४. | ढाका टोपी १ दर्जन भन्दा माथी मात्र | प्रति गोटा | ५ |
| १९५. | सर्ट, चौबन्दी १ दर्जन भन्दा माथी मात्र | प्रति गोटा | ५ |
| १९६. | ढाका साडी १ दर्जन भन्दा माथी मात्र | प्रति गोटा | २५ |
| १९७. | ढाका ठुलो पछ्योरी, कुर्ता सलवार १ दर्जन भन्दा माथी मात्र | प्रति गोटा | १५ |
| १९८. | मह | प्रति के.जी. | १ |
| १९९. | दुध | प्रति द्याङ्कर | २५ |
| २००. | गुजरगानो | प्रति के.जी. | १ |
| २०१. | खोकिम | प्रति के.जी. | १ |
| २०२. | चिडफिड, सुनथाङ्गे | प्रति के.जी. | १५ |
| २०३. | घिउ/चिज (दुग्ध विकास वाहेकको) | प्रति के.जी. | २ |
| २०४. | एभाकाडो, किवी फल | प्रति के.जी. | २ |
| २०५. | मटरकोसा, भटमासकोसा | प्रति मन | ७ |
| २०६. | अमिलो चुक | प्रति लिटर | ७ |
| २०७. | विरुवा | प्रति गोटा | ०.२५ |

प्रमाणीकरण मिति २०७५/०३/२१